

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-221/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० अभिलाषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, लखीसराय को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-25.07.2024 से 20.01.2025 तक कुल-180 दिनो का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

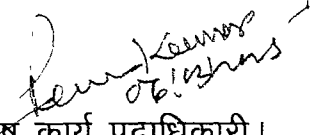
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-221/2024-224(17) पटना, दिनांक :- 06/03/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, लखीसराय/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० अभिलाषा रानी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।